कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर

राजस्थान सरकार

पंजीयन प्रमाण-पत्र

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के कार्यालय में आज के दिन यथावत रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

सार्वजनिक प्रन्यास का नाम श्री [illegible] सेवा [illegible] जोधपुर

सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या [illegible] जोधपुर

प्रमाण पत्र [illegible] के नाम [illegible] को जारी किया गया।

मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30 माह 12 सन् 199- को दिया गया।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर